लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन सं॰ आर्थिक क्षेत्र

कार्यालय कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, भिकियासेन, अल्मोड़ा के माह 04/2012 से 05/2016 तक के लेखा अभिलेखों पर आधारित सर्व श्री डी के मट्टू सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री मनोज सिंह, पर्यवेक्षक, श्री सौरभ कुमार लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 18/06/2016 से 23/06/2016 तक नियंत्रक महालेखापरीक्षक के डी0पी0सी0एक्ट की धारा 13 के अन्तर्गत लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन।

निरीक्षण आख्या **कार्यालय कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, भिकियासेन, अल्मोड़ा** द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार की गयी है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गई किसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिये कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

भाग-प्रथम

प्रस्तावनाः-

1. कार्यालय की प्रथम लेखापरीक्षा है।
2. विगत लेखापरीक्षा से अब तक निम्नलिखित कार्यालय अध्यक्ष नें कार्यालय का कार्यभार सम्भाले रखा।

    1. श्री धीरज सिंह — कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी

3. अप्रस्तुत अभिलेख:- शून्य
4. सतत अनियमिततायेँ:- शून्य

5. सम्प्रेषित अवधि मे मुख्य लेखा शीर्षो मे कुल आवंटन एवं व्यय (धनराशि लाख में)

वर्ष	योजनागत	आयोजनेत्तर
	आवंटन	व्यय
2012-13	219.46	191.98
2013-14	185.34	186.38
2014-15	85.02	84.18
2015-16	139.52	69.92

STAN

1. `1,18,551.00 की तार खरीदने पर स्टॉक एंट्री नहीं करना।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड-5 भाग-I लेखा नियम 256(1) के अंतर्गत प्राप्त सभी वस्तुओं की गिनती, मापन या तोल जैसा भी मामला हो तथा एक उत्तदायित्वपूर्ण सेवक के भारसाधन में रखना होता है। वस्तुओं के तथा उसके प्रयोजन विहित स्टॉक रजिस्टर में उनके अभिलेखों को प्राप्त कर लिया है जब कि विभाग ने दिनांक 08-02-2016 को 18.38 कुंतल तार `1,18,551.00 को खरीद कर कोई स्टॉक प्रविष्टि नहीं की । विभाग से पूछने पर विभाग ने उत्तर में बताया कि भविष्य मे क्रय सामग्री के बिलों की प्रविष्टि सेंट्रल स्टॉक रजिस्टर में कर दी जाएगी। विभाग का उत्तर मान्य नहीं हैं।

अत: प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-तीन

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमिततायें जिनका स्थल पर समाधान नहीं हो सका। उनको नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित करके अलग **कार्यालय कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, भिकियासेन, अल्मोड़ा** को भेजा जाएगा, जिसकी अनुपालन आख्या एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार/आर्थिक खण्ड, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, सी-1/105, वैभव पैलेस, इन्दिरा नगर, देहरादून को भेजना सुनिश्चित करेंगें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/आर्थिक-II